| |
|---|
| अति महत्वपूर्ण<br>अंतिम स्मार |

पत्रांकः—04 / स्था०(नियमितीकरण)—11—01 / 2019 ज॰सं॰ :—

**झारखण्ड सरकार**

**जल संसाधन विभाग।**

प्रेषकः **राजेश बाखला,**
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई, रॉची / सुवर्णरेखा परियोजना ईचा
गालुडीह / देवघर / सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, चांडिल को छोड़कर)
मुख्य अभियंता,
ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र,
ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची।
विशेष भू—अर्जन कार्यालय,
मध्यम सिंचाई परियोजना चाईबासा / देवघर / दुमका
विशेष भू—अर्जन कार्यालय,
उतरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर
विशेष भू—अर्जन कार्यालय,
तेनुघाट परियोजना, हजारीबाग
विशेष भू—अर्जन कार्यालय सं० —01, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर / कार्यालय सं० 03 सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर / सुवर्णरेखा परियोजना, चांडिल / सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर
पुनर्वास कार्यालय,
देवघर
पुनर्वास कार्यालय सं० 02,
चांडिल
पुनर्वास कार्यालय, उतरी कोयल परियोजना,
मेदिनीनगर।

रॉची, दिनांकः—

विषयः— **सेवा नियमितीकरण नियमावली 2015 में संशोधन के आलोक में योग्य उम्मीदवारों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः— कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का अधिसूचना सं० 4871 दिनांक 20.06. 2019 एवं तदालोक में विभागीय पत्रांक 4917 दिनांक 05.09.2019 एवं स्मार पत्रांक 4191 दिनांक 08.10.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आपके प्रक्षेत्रान्तर्गत वैसे अनियमित रूप से रिक्त कर्मी सृजित पद के विरूद्ध दिनांक 20.06.2019 तक कम से कम 10 वर्षों की लगातार सेवा कर रहे हैं से आवेदन प्राप्त कर संलग्न विहित प्रपत्र में संबंधित अभिलेख के साथ दिनांक 20.09.2019 तक अनुशंसा सहित उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था परंतु एक साल से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी आपके द्वारा संबंधित अनियमित कर्मी की अनुशंसा विभाग को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। जिसके कारण नियमितीकरण से संबंधित अग्रेतर कार्रवाई बाधित है। आपका यह कृत्य सरकारी आदेश का उल्लघन एवं कर्तव्य में लापरवाही का द्योतक है। भविष्य में यदि यह मामला न्यायालय में जाता है तो इस विलम्ब की

पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी। कृपया इसे अति आवश्यक समझते हुये वांछित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे अंतिम स्मार समझा जाय।

विश्वासभाजन,
ह०/–
**(राजेश बाखला),**
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 1513 रॉची, दिनांक :– 12/3/21

प्रतिलिपि :– वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/03/2021
**(राजेश बाखला),**
सरकार के अवर सचिव।

10.3.2021

F:\Cloud\Section 05\Seva Niyamitikaran Niyamavli me sansodhan.docx